



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 165]

No. 165]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 19, 2017/पौष 29, 1938

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 19, 2017/PAUSA 29, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2017

का.आ. 178(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक एवं हितकर है, अतः एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः:-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ- (i) इस आदेश को ऊर्जा दक्ष इंडक्शन मोटर्स-श्री फेज स्क्वैरेल केज (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2017 कहा जाएगा।
(ii) यह आदेश दिनांक 01.10.2017 से लागू होगा।
2. परिभाषा- इस आदेश में जब तक कि संदर्भ के लिए अन्यथा अपेक्षा न हो-
 - (क) 'अधिनियम' का अर्थ भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) है;
 - (ख) 'उचित प्राधिकारी' का अर्थ-
 - (i) एक ऐसा अधिकारी जो भारत सरकार के अवर सचिव रैंक से कम न हो;
 - (ii) एक ऐसा अधिकारी जो राज्य सरकार के जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक के रैंक से कम न हो;
 - (iii) राज्य सरकारों के उद्योग निदेशक अथवा आयुक्त;

- (iv) भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक द्वारा नामित एक अधिकारी।
- (ग) 'ब्यूरो' का अर्थ उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत स्थापित भारतीय मानक ब्यूरो है;
- (घ) ऊर्जा दक्ष इंडक्शन मोटर्स-श्री फेज स्क्वूरेल केज के सन्दर्भ में 'डीलर' का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति या एक फर्म या एक कंपनी अथवा एक हिंदू अविभाजित परिवार है अथवा एक सहकारी सोसायटी है, जो ऊर्जा दक्ष इंडक्शन मोटर्स-श्री फेज स्क्वूरेल केज के विनिर्माण उसकी खरीद, बिक्री, आपूर्ति अथवा वितरण संबंधी व्यवसाय का प्रत्यक्ष अथवा अन्य रूप में संचालन कर रहा है, चाहे वह नगद या आस्थगित भुगतान के लिए या दलाली, मुआवजा अथवा अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए हो;
- (ङ) 'ऊर्जा दक्ष इंडक्शन मोटर्स-श्री फेज स्क्वूरेल केज' का अर्थ अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट मर्दें हैं;
- (च) ऊर्जा दक्ष इंडक्शन मोटर्स-श्री फेज स्क्वूरेल केज के सन्दर्भ में 'विनिर्माता' का अर्थ एक व्यक्ति या एक फर्म या हिंदू अविभाजित परिवार अथवा एक कॉआपरेटिव सोसायटी से है, जो ऊर्जा दक्ष इंडक्शन मोटर्स-श्री फेज स्क्वूरेल केज का उत्पादन, निर्माण, संयोजन अथवा विनिर्माण करती है और इसमें शामिल एक व्यक्ति या एक फर्म या हिंदू विभाजित परिवार अथवा एक कॉआपरेटिव सोसायटी, जो यह दावा करती है कि ऐसे एक व्यक्ति या एक फर्म या हिंदू अविभाजित परिवार अथवा एक कॉआपरेटिव सोसायटी द्वारा उसका उत्पादन, निर्माण, संयोजन अथवा विनिर्माण किया जाना है, जैसा भी मामला हो;
- (छ) 'अनुसूची' का अर्थ इस आदेश के साथ संलग्नक अनुसूची है;
- (ज) ऊर्जा दक्ष इंडक्शन मोटर्स-श्री फेज स्क्वूरेल केज के संबंध में 'विनिर्दिष्ट मानदंड' का अर्थ अनुसूची के कॉलम (1) में तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भारतीय मानक है;
- (झ) 'राज्य सरकार' में केंद्र शासित प्रशासन भी शामिल है; और
- (ञ) ऐसे अन्य शब्दों एवं वाक्यांशों, जो इस आदेश में प्रयुक्त किए गए हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं परंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, के अर्थ वे होंगे जो अधिनियम तथा संगत भारतीय मानक ब्यूरो में उनके लिए दिए गए हैं।
- (3) विनिर्माता, भंडारण, बिक्री तथा वितरण आदि का निषेध-
1. कोई भी व्यक्ति स्वयं अथवा उसकी ओर से किसी व्यक्ति के माध्यम से ऊर्जा दक्ष इंडक्शन मोटर्स-श्री फेज स्क्वूरेल केज का बिक्री के लिए विनिर्माण अथवा स्टोर, बिक्री या संवितरण नहीं करेगा जो विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं और जिन पर ब्यूरो के मानक चिह्न नहीं हैं।
- तथापि केंद्र सरकार किसी आवेदन पर मानक मार्क से छूट दे सकती है यदि वह इस बात से संतुष्ट होती है कि ऊर्जा दक्ष इंडक्शन मोटर्स-श्री फेज स्क्वूरेल केज का निर्यात के प्रयोजन से विनिर्माण एवं प्रेषण किया गया है और विदेशी मानक के अनुसार है अथवा क्रेता के विनिर्देशों के अनुसार है और भारतीय मानकों की प्रचलित अपेक्षा के अनुरूप नहीं हैं।

2. अवमानक एवं दोषपूर्ण ऊर्जा दक्ष इंडक्शन मोटर्स-श्री फेज स्क्वैरेल केज जो विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं, उन्हें विनिर्माण की तारीख से तीन महीने के भीतर उपयोग न कर सकने के लिए नष्ट कर दिया जाएगा तथा कबाड़ के रूप में निपटान कर दिया जाएगा।
4. प्रमाणन की बाध्यता-
 1. ऊर्जा दक्ष इंडक्शन मोटर्स-श्री फेज स्क्वैरेल केज के सभी विनिर्माता, मानक मार्क के उपयोग हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ब्यूरो को आवेदन करेंगे, यदि यह पहले प्राप्त नहीं किया हो।
 2. मानक मार्क के उपयोग के लिए ब्यूरो द्वारा लाइसेंस की अनुमति, अधिनियम तथा नियमावली और इसके तहत निर्धारित विनियों के प्रावधानों के अनुसार होगी।
 3. जब कोई व्यक्ति स्वयं अथवा उसकी ओर से किसी व्यक्ति के माध्यम से अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार ऊर्जा दक्ष इंडक्शन मोटर्स-श्री फेज स्क्वैरेल केज के विनिर्माण का प्रस्ताव करता है, तब वह मानक मार्क के उपयोग के लिए ब्यूरो से वैध लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही नियमित उत्पादन शुरू करेगा।
 4. अनुसूची में विनिर्दिष्ट एक या अधिक ऊर्जा दक्ष इंडक्शन मोटर्स-श्री फेज स्क्वैरेल केज के संबंध में ब्यूरो द्वारा किसी लाइसेंस की समाप्ति अथवा निरस्तीकरण के परिणामस्वरूप ब्यूरो ऐसे मामलों को अधिसूचित करेगा और अपनी वेबसाइट पर सूचनार्थ प्रदर्शित करेगा।
5. जानकारी आदि प्राप्त करने का अधिकार,
 - (1) सक्षम प्राधिकारी इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से-
 - (क) किसी ऊर्जा दक्ष इंडक्शन मोटर्स-श्री फेज स्क्वैरेल केज के विनिर्माण, आयात, बिक्री हेतु भंडारण, बिक्री अथवा वितरण में कार्यरत किसी व्यक्ति से ऐसी सूचना देने की अपेक्षा कर सकता है जो इस आदेश के कार्यान्वयन के लिए किसी ऊर्जा हेतु दक्ष इंडक्शन मोटर्स-श्री फेज स्क्वैरेल केज के विनिर्माण, आयात, बिक्री हेतु भंडारण, बिक्री अथवा वितरण के संबंध में आवश्यक समझी जाएगी अथवा किसी व्यक्ति से ऐसे किसी ऊर्जा दक्ष इंडक्शन मोटर्स-श्री फेज स्क्वैरेल केज के नमूने प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है;
 - (ख) किसी ऊर्जा दक्ष इंडक्शन मोटर्स-श्री फेज स्क्वैरेल केज के विनिर्माण, आयात, बिक्री के लिए भंडारण बिक्री अथवा वितरण में कार्यरत किसी व्यक्ति द्वारा रखे गए अथवा उमसे संबंधित अथवा इसके कब्जे वाले अथवा उसके नियंत्रणाधीन ऊर्जा दक्ष इंडक्शन मोटर्स-श्री फेज स्क्वैरेल केज के खातों या अन्य किसी दस्तावेज की जांच कर सकता है अथवा जांच करवा सकता है।
 - (ग) किसी भवन में प्रवेश एवं जांच कर सकता है तथा ऐसे ऊर्जा दक्ष इंडक्शन मोटर्स-श्री फेज स्क्वैरेल केज को जब्त कर सकता है जिसके संबंध में यह विश्वास हो कि इस आदेश का उल्लंघन हुआ है अथवा उक्त ऊर्जा दक्षता इंडक्शन मोटर्स-श्री फेज स्क्वैरेल केज अपेक्षित मानक के अनुसार नहीं है।
 - (2) तलाशी एवं जब्त करने से संबंधित आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) का प्रावधान, इस खंड के तहत तलाशी तथा जब्ती पर लागू किया जा सकता है।
6. नमूनों का परीक्षण- मानक मार्क वाले तथा उचित प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु लिए गए कि क्या वे विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार हैं, ऊर्जा दक्ष इंडक्शन मोटर्स-श्री फेज स्क्वैरेल केज के नमूनों का ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में और ब्यूरो द्वारा निर्धारित तरीके से परीक्षण किया जाएगा।

7. विनिर्माताओं तथा डीलरों अथवा विक्रेताओं को निर्देश जारी करने का अधिकार- सक्षम प्राधिकारी विनिर्माताओं, आयातकों तथा डीलरों अथवा विक्रेताओं को कथित अधिनियम अथवा इस आदेश के प्रावधानों के अनुरूप ऐसे निर्देश जारी कर सकता है, जो इस आदेश के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए आवश्यक हों।

8. निर्देशों का अनुपालन- किसी ऊर्जा दक्ष इंडक्शन मोटर्स-श्री फेज स्क्वैरेल केज के विनिर्माण, आयात बिक्री के लिए भंडारण, बिक्री अथवा वितरण में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति जिसे इस आदेश के तहत कोई निर्देश जारी किया गया है, वह ऐसे निर्देश का अनुपालन करेगा।

9. सूचना प्रस्तुत करने की बाध्यता- कोई भी विनिर्माता, आयातक अथवा डीलर इस आदेश के प्रावधानों से बचने के इरादे से खंड 5 के तहत उससे कानूनी रूप से मांगी गई कोई सूचना देने से मना नहीं करेगा अथवा ऐसा कोई व्यक्ति उनके द्वारा रखे गए या उसके कब्जे अथवा नियंत्रण वाले किसी ऊर्जा दक्ष इंडक्शन मोटर्स-श्री फेज स्क्वैरेल केज खातों अथवा दस्तावेजों को गुप्त नहीं रखेगा, खराब, नष्ट अथवा नुकसान नहीं पहुंचाएगा और यदि कोई व्यक्ति इस प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो उसे एक अवधि की सजा दी जा सकती है जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है अथवा जुर्माना लगाया जा सकता है जो 50000 रूपए तक हो सकता है अथवा दोनों हो सकते हैं।

अनुसूची

(खंड 2 (ड) देखें)

भारतीय मानक संख्या	शीर्षक
(1)	(2)
आईएस 12615:2011	ऊर्जा दक्ष इंडक्शन मोटर्स-श्री फेज स्क्वैरेल केज

[फा. सं. 14(85)/2011-एलईआई]

वंदना कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Industrial Policy and Promotion)

ORDER

New Delhi, the 18th January, 2017

S.O. 178(E).—In exercise of the powers conferred by section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary and expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

- Short title and commencement** – (i) This order may be called the Energy Efficient Induction Motors – Three Phase Squirrel Cage (Quality Control) Order, 2017.
(ii) This order shall come into force with effect from 01.10.2017.
- Definitions** – In this Order, unless the context otherwise requires -
 - “Act” means the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986);
 - “appropriate authority” means –
 - An Officer not below the rank of an Under Secretary to the Government of India;
 - An Officer not below the rank of the General Managers, District Industries Centre of a State Government;
 - Directors or Commissioners of Industries of State Governments;

- (iv) An Officer nominated by the Director General, Bureau of Indian Standards.
- (c) **"Bureau"** means the Bureau of Indian Standards established under section 3 of the said Act;
- (d) **"dealer"** in relation to energy efficient induction motors – three phase squirrel cage means a person who, or a firm or a company or a Hindu undivided family or a cooperative society which carries on, directly or otherwise, the business of manufacturing, buying, selling, supplying or distributing energy efficient induction motors – three phase squirrel cage whether in cash or for deferred payment or for commission, remuneration or other valuable consideration;
- (e) **"Energy Efficient Induction Motors – Three Phase Squirrel Cage"** means the items specified in column (2) of the Schedule;
- (f) **"manufacturer"** in relation to energy efficient induction motors – three phase squirrel cage, means a person who, or a firm or a company or a Hindu undivided family or a cooperative society which produces, makes, assembles or manufactures energy efficient induction motors – three phase squirrel cage and includes a person who, or a firm or a company or a Hindu undivided family or a cooperative society which claims energy efficient induction motors – three phase squirrel cage to be produced, made, assembled or manufactured by such person or a firm or a company or a Hindu undivided family or a cooperative society, as the case may be;
- (g) **"Schedule"** means the schedule annexed to this order;
- (h) **"specified standard"** in relation to energy efficient induction motors – three phase squirrel cage means the Indian standard as specified in the corresponding entry in column (1) of the schedule.
- (i) **"State Government"** includes a Union territory Administration; and
- (j) All other words and expressions used but not defined in this Order but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the act and relevant Bureau of Indian Standards.
- (3) **Prohibition of manufacturer, storage, sale and distribution etc. –**
- (1) No person shall by himself or through any person on his behalf manufacture or store for sale, sell or distribute energy efficient induction motors – three phase squirrel cage, which do not conform to the specified standards and do not bear Standard Mark of the Bureau:
- Provided that the Central Government may, on an application made, grant exemption from standard Mark, if it is satisfied that the energy efficient induction motors – three phase squirrel cage manufactured and dispatched is for export purpose and is as per the overseas standard or as per buyers specifications and do not coincide with the corresponding requirement of the Indian standards.
- (2) The sub-standard or defective energy efficient induction motors – three phase squirrel cage, which do not conform to the specified standard shall be deformed by the manufacturer beyond use and disposed of as scrap within three months, from the date of manufacture.
4. **Obligation for Certification –**
- (1) All manufacturers of energy efficient induction motors – three phase squirrel cage shall make an application to the Bureau for obtaining licence for use of the standard mark, if not already obtained.
- (2) The grant of licence by the Bureau for use of the standard mark shall be as per the provisions of the Act and rules and regulations made thereunder.
- (3) When any person by himself or through any person on his behalf proposes to manufacture energy efficient induction motors – three phase squirrel cage; as specified in the Schedule shall commence regular production only after obtaining a valid licence from Bureau for the use of standard mark.
- (4) Consequent to the expiry or cancellation of any licence by the Bureau for one or more of the energy efficient induction motors – three phase squirrel cage specified in the Schedule, the Bureau shall notify such cases and display the information on its website.
5. **Power to call for information, etc. –**(1) The appropriate Authority may, with a view to securing compliance with this Order-
- (a) require any person engaged in the manufacture, import, storage for sale, sale or distribution of any energy efficient induction motors – three phase squirrel cage to give such information as he deems necessary relating to the manufacture, import, storage for sale, sale or distribution of any energy efficient induction motors – three phase squirrel cage for the implementation of this Order or require any such person to furnish to him samples of any such energy efficient induction motors – three phase squirrel cage;

- (b) inspect or cause to be inspected any books or any other documents of the energy efficient induction motors – three phase squirrel cage kept by or belonging to or in the possession or under the control of any person, engaged in the manufacture, storage for sale, sale or distribution of any such energy efficient induction motors – three phase squirrel cage;
- (c) enter and search any premises and seize energy efficient induction motors – three phase squirrel cage in respect of whom it has reason to believe that a contravention of this Order has been committed or the said energy efficient induction motors – three phase squirrel cage are not of the specified standard.
- (2) The provision of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) relating to search and seizures shall so far as may be, apply to searches and seizures under this clause.
6. **Testing of samples** – Samples of energy efficient induction motors – three phase squirrel cage bearing the standard mark and drawn by the appropriate authority, for ascertaining whether they are of the specified standard, shall be tested as per the Indian Standard in the laboratory recognised by the Bureau and in the manner as may be determined by the Bureau.
7. **Power to issue direction to manufactures and dealers or sellers** – The appropriate authority may issue such directions to manufactures, importers and dealers or sellers, consistent with the provisions of the said Act or this Order, as may be necessary for carrying out the purposes of this Order.
8. **Compliance of directions** – Every person engaged in the manufacture, import, storage for sale, sale or distribution of any energy efficient induction motors – three phase squirrel cage specified in the Schedule to whom any direction is issued under this Order, shall comply with such direction.
9. **Obligation to furnish information** – No manufacturer, importer or dealer shall with intent to evade the provisions of this Order, refuse to give any information lawfully demanded from him under clause 5 or conceal, destroy, mutilate or deface any books or documents or any energy efficient induction motors – three phase squirrel cage kept by, or in the possession or control of, such person, and if any person contravenes this provision shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to fifty thousand rupees, or with both.

SCHEDULE

(See clause 2 (e))

Indian standard number	Title
(1)	(2)
IS 12615:2011	Energy Efficient Induction Motors – Three Phase Squirrel Cage.

[F. No. 14(85)/2011-LEI]

VANDANA KUMAR, Jt. Secy.